रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259562
CG-DL-E-20122024-259562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5095] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2024/अग्रहायण 29, 1946
No. 5095] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2024/AGRAHAYANA 29, 1946

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5510(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मॉनीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार द्वारा मॉनीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

i.	आयुक्त, राजस्व प्रमंडल,	- अध्यक्ष, पदेन;
ii.	राजस्व विभाग, बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
iii.	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
iv.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना	- सदस्य, पदेन;
v.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के एक प्रतिनिधि को प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
vi.	पशुधन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
vii.	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम चम्पारण	- सदस्य, पदेन;
viii.	बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
ix.	सदस्य-सचिव या सदस्य, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड	- सदस्य, पदेन;
x.	प्रभागीय वन अधिकारी या बाल्मीकि टाइगर परियोजना, प्रभाग-1	- सदस्य सचिव, पदेन;

(2) मॉनीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की, तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची मे शामिल है, और उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय जो पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अंतर्गत आती है और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किये गए हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और उसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हे विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या सम्बद्ध उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मॉनीटरी समिति मामले-दर-मामले अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधि या सम्बद्ध पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(6) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/30/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2024

S.O. 5510(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Udaipur Wildlife Sanctuary ,Bihar in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2030(E), dated the 28th June, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2030(E), dated the 28th June, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2030(E), dated the 28th June, 2017;namely :-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted namely: -

"5. **Monitoring Committee**. – (1) There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:

(i)	The Commissioner of Tirhut, Revenue Division, Muzaffarpur	- Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of Department of Revenue, Government of Bihar	- Member, ex officio;
(iii)	A representative of Department of Water Resource, Government of Bihar	- Member, ex officio;
(iv)	Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board, Patna	- Member, ex officio;
(v)	A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Bihar from time to time every three years	- Member;
(vi)	A representative of Department of Livestock and Fishery Resources, Government of Bihar	- Member, ex officio;
(vii)	District Magistrate, West Champaran	- Member, ex officio;
(viii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar from time to time every three years	- Member;
(ix)	Member-Secretary or Member, Bihar State Biodiversity Board	- Member, ex officio;
(x)	Divisional Forest Officer or Valmiki Tiger Project, Division-I	- Member -Secretary, ex officio.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-III

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.''.

[F. No. 25/30/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2030 (E), dated the 28th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.20 19:23:54 +05'30'